फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

किस्म मुकदमा– नामान्तरण अपील **पत्रावली संख्या 25/2018**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 23.09.2019	

1. श्री उदय लाल उर्फ मदन लाल पिता चतर लाल जी भील, निवासी जावद तहसील व जिला राजसमन्द नाबालिग
2. श्री दीपक पिता चतर लाल भील, निवासी जावद तहसील व जिला नाबालिग जरिये वली मामा रोडी लाल पिता गोदा जी भील निवासी वेर पीपरडा तहसील व जिला राजसमन्द

– अपीलांट्स

बनाम

1. श्री बाबु लाल पिता कानिया जी भील निवासी जावद तहसील व जिला राजसमन्द
2. श्रीमती कंकू पुत्री कानिया भील (पत्नी प्रभु लाल भील) निवासी श्रीनाथ कॉलोनी बस स्टेण्ड नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा
3. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री कानिया भील (पत्नी गंगाराम भील) निवासी मण्डावर तहसील व जिला राजसमन्द
4. श्रीमती प्रेम पुत्री कानिया भील (पत्नी डूंगरलाल भील) निवासी कुंचोली तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
5. तहसीलदार राजसमन्द

– रेस्पोण्डेंट्स

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। सभी पक्षकारान ने दिनांक 25.03.2019 को अपीलांट व रेस्पोण्डेंट संख्या 1 से 4 के मध्य राजीनामा हो जाना जाहीर कर निवेदन किया है कि प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोण्डेंट संख्या 1, 2, 3 व 4 के मध्य राजीनामा हो जाने से रेस्पोण्डेंट संख्या 2, 3, 4 का हिस्सा अपीलांट संख्या 1 व 2 एवं रेस्पोण्डेंट संख्या 1 के मध्य बराबर–बराबर हिस्से से राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने में रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 4 को कोई आपत्ति नहीं है। इस अनुसार अपील का निस्तारण करने हेतु दिनांक 13.05.2019 को निवेदन किया गया था। अपीलांट द्वारा आज मौखिक रूप से जाहिर किया गया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपीलार्थी के पक्ष में रेस्पोडेन्ट द्वारा विधिवत हकत्याग विलेख निष्पादित किया है इसलिए उक्त अपील को चुनौति नहीं देना चाहते है। अपील निष्प्रभावी हो गयी है। इस आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया उक्त प्रकरण तहसीलदार राजसमन्द द्वारा राजस्व ग्राम पीपरडा में पारित नामान्तरण संख्या 614 दिनांक 10.01.2005 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है। ऐसी स्थिति मे उक्त अपील निष्प्रभावी होने से अस्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)